FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई   मुकाम अराई (अजमेर)

• पप्पू पुत्र बींजा जाति रेगर निवासी ग्राम ढसुक तहसील अराई जिला अजमेर राज. व अन्य।

--प्रार्थीगण

बनाम

• भागचन्द पुत्र उकार जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान वगै

--अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– 111,128 भू.राज.अधि.1956

नंबर 117 /2022

ऑनलाइन नंबर 2022/123

वकील प्रार्थी:– रामनिवास बैरवा   वकील प्रतिवादीगण...................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.11.2022	यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामनिवास बैरवा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि.1956 के तहत् पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 25.11.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अराई	
25/11/2022	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी स. 01 से 49 तथा 51 लगायत 58 के तामिलशुदा तथा अप्रार्थी नं. 50 के अदम तामिल नोटिस प्राप्त जो शामिल मिसल। अप्रार्थी नं. 08, 25 52, 58 व 53 की ओर से वकील श्री रामधन पोषक उप. होकर वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा। वास्ते जवाब तथा तलबी अप्रार्थी नं. 50 पत्रावली दिनांक 09/12/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

(6)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/12/23 को पेश हो।
08/12/2023	पत्रावली पेश हुई प्रकरण में अन्तिम निर्णय पूर्व में होने से दाखिल किया गया पत्रावली कार्यवाही शुदा होकर नत्थी करें उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)

(7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 117/2022 उनवान पप्पू बनाम भागचन्द ::

1. श्री पप्पू पुत्र बींजा
2. श्री महावीर पुत्र बींजा

सर्व जाति रेगर सर्व निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भागचन्द पुत्र ऊकार
2. सुरेश पुत्र कल्याण
3. सीता पुत्री ऊकार
4. गणेश पुत्र कालूराम
5. गोपाल पुत्र सोन्या
6. घीसी पुत्री सुगना
7. चन्द्रकला पुत्र भगवान
8. छोटी पत्नी मोहनी
9. जगदीश पुत्र श्रवण
10. ज्ञानी पत्नी भागचन्द
11. धन्नी पत्नी झीता
12. पूजा पुत्री कालूराम
13. प्रेम पुत्र झीता
14. पांचु पुत्र लादु
15. बंशी पुत्र भागचन्द
16. भागचन्द पुत्र मोहन
17. भागचन्द पुत्र झींता
18. मंजू पुत्री भगवान
19. मदनलाल पुत्र श्रीकिशन
20. मंजू पुत्री श्रवण

उपखण्ड अधिकारी

21. मनफुल पत्नी रामेश्वर
22. मैना पुत्री मोहन
23. मूलचन्द पुत्र किशना
24. ना.मंशा पुत्र कालूराम
25. महेन्द्र पुत्र गणपत
26. मांगीलाल पुत्र झीता
27. मोहन पुत्र लादू
28. रेखा पुत्री गणपत
29. रतनी पत्नी कालू
30. रसाल पत्नी रामदयाल
31. ना. राकेश पुत्र कालूराम
32. रामकन्या पत्नी कालूराम
33. रामरतन पुत्र छीतर
34. रामस्वरूप पुत्र मोहन
35. लक्ष्मीनारायण पुत्र छीतर
36. लाड पुत्री कालू
37. संतोष पत्नी छीतर
38. संतरा पुत्र श्रवण
39. संतोष पुत्री श्रवण
40. सुमित्रा पत्नी पप्पू
41. सूरजकरण पुत्र भगवान
42. सुरेश पुत्र गणपत
43. सुरेश पुत्र कल्याण
44. सायरी पुत्री श्रवण
45. सावित्री पुत्री श्रवण
46. सीता पत्नी ऊकार
47. सीमा पुत्री मोहन
48. सोहन पुत्र सुगना
49. हनुमान पुत्र कालू
50. इन्द्रा पुत्री धन्ना
51. उमराव पुत्र काना

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

(7)

कंचन पुत्री झीता

कमला पत्नी गणपत

4. कैलाश पुत्र श्रवण

55. कालूराम दत्तक पुत्र केला

56. कौशल्या पुत्री श्रीकिशन सर्व जाति रेगर सर्व निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

57. ग्राम पंचायत ढसूक जरिये सरपंच

58. श्रीमान तहसीलदार तहसील अरांई

—अप्रार्थीगण

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक ....

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री रामनिवास बैरवा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 16.11.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 117/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास बैरवा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की भूमि ग्राम ढसुक पटवार हल्का ढसुक तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1192/316 रकबा 0.3398 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 316 रकबा 1.2216 हैक्टेयर स्थित है जिस पर प्रार्थीगण वर्तमान में नक्शेनुसार व राजस्व रिकार्ड के अनुसार काबिज काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1192/316 तथा खसरा संख्या 316 के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 280, 315, 318 स्थिति है। जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है।। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 02 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई को सीमाज्ञान बाबत दिया था जिसके अनुक्रम में पटवार हल्का द्वारा 29.05.2022 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा तैयार किया गया था। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 57 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

(10)

प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है । अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते है जिसके निवारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम ढसुक पटवार हल्का ढसुक तहसील अराई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1192/316 रकबा 0.3398 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 316 रकबा 1.2216 हैक्टेयर स्थित का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

2. दिनांक 25.11.2022 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 49 तथा 51 से 58 के तामिल शुदा नोटिस प्राप्त हुऐ तथा अप्रार्थी संख्या 50 के अदम तामिल नोटिस प्राप्त हुऐ आप्रर्थी संख्या 8, 25, 42, 48 व 53 की ओर से वकील श्री रामधन पोषक उपस्थित हुऐ तथा वकालत नामा पेश किया। दिनांक 09.12.2022 को वकील प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते वाद अधीन भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत पेश किया। दिनांक 06.04.2023 को वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र वास्ते अप्रार्थी संख्या 28 व 50 की तलबी हेतु अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. मे पेश किया जिस पर वकील प्रार्थी को सुना गया ,वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति व्यक्त की जिससे की प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया और अप्रार्थी संख्या 28 व 50 का नाम लाल स्याही से शुद्व कर अप्रार्थी संख्या 28 व 50 को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 13.04.2023 को अप्रार्थी संख्या 28 व 50 के तामिल शुदा सम्मन प्राप्त हुऐं। तथा वकील अप्रार्थी द्वारा जवाबुल जवाब पेश किया जिसका जवाब वकील प्रार्थी द्वारा 18.08.2023 को पेश किया गया। दिनांक 13.10.2023 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत को खारिज किया गया तथा वकील उभयपक्ष की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस सुनी गयी।

3. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई और प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम ढसुक पटवार हल्का ढसुक तहसील अराई जिला अजमेर में स्थित जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1192/316 रकबा 0.3398 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 316 रकबा 1.2216 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1500/—रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

(11)

आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/— रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)